1774 20/1/20

RCMS 2019/00250

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 136 एलआर एक्ट मु.नं. 12 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-11-19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी गोकुल शर्मा पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गुडावड़ी की जमाबन्दी संवत 2075–78 नया खाता खंख्या 82 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में गोकुलचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम गोकुल प्रसाद पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी है। प्रार्थी का नाम गोकुल प्रसाद पुत्र नेमीचन्द किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2075–78 में प्रार्थी का नाम गोकुलचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व उप तहसीलदार सालासर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम गोकुल प्रसाद पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 नया खाता खंख्या 82 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॅार्ड मे दर्ज की जानी है)
1	गुडावड़ी	82	गोकुलचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी खातेदार	गोकुल प्रसाद पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी गुडावड़ी खातेदार

बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-11-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.13 16:33:14 IST
Reason: SelfAttested